मिलोवाइजाराम ...2

सत्य प्रतिलिपि सं0- 620
शब्द संख्या - 400

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 154/2013
सोसायटी ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च द्वारा मंजू गोयल

धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
बनाम उ0प्र0 सरकार

ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ।

सत्य प्रतिलिपि :: निर्णय :: दि0 - 10/4/13

सोसायटी ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च द्वारा मंजू गोयल, चेयरपर्सन ने ने धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि ग्राम घाट स्थित भूमि खसरा संख्या 1004/1 पर सोसायटी द्वारा शिक्षण संस्थान एपेक्स इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च संचालित किया जा रहा है। उक्त भूमि में कोई खेती बाडी, कुट–कुट या मछली पालन नहीं हो रहा है। इस भूमि में शिक्षण संस्था संचालित की जा रही है। प्रार्थिनी ने उक्त भूमि को धारा 143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने का अनुरोध किया है। प्रार्थिनी की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में ग्राम घाट की उद्धरण खतौनी वर्ष 1415 ता 1420 बावत् खाता संख्या 00022 एव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा प्रमाणित मानचित्र की छायाप्रति दाखिल की है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार मेरठ से आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 17-01–2013 को उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 व नियम 135 के अन्तर्गत आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि ग्राम घाट स्थित भूमि खसरा संख्या 1004/1 रकबा 1.518 है0 राजस्व अभिलेख खतौनी में ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च एण्ड सोसाइटी रजि0 अन्डर सोसायटी रजि0 एक्ट रा0 सन् 1960 रजि0आ0 मन्जुलिका 22115 थापरनगर मेरठ द्वारा चेयरमैन मंजू गोयल सैकेट्री श्री संदीप गोयल के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। ग्राम घाट के खसरा संख्या 1004/1 रकबा वर्तमान में 1035 वर्ग मी0 एन0एच0 में जाने के कारण 1.4145 है0 शेष है तथा उक्त संस्था ने अपना कब्जा भी हटा लिया है। इस प्रकार संस्था खसरा नम्बर 1004/1 रकबा 1.4145 है0 पर स्थापित हो गई है तथा उक्त भूमि पर मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, कृषि आदि नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षण कार्य के प्रयोग में है। तहसील आख्या में उक्त भूमि खसरा संख्या 1004/1 कुल रकबा 1.5180 है0 (वर्तमान में 1035 वर्ग मी0 एन0एच0 में जाने के कारण) शेष रकबा 1.4145 है0 भूमि को धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त वर्णित भूमि पर ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च एण्ड सोसाइटी रजि0 अन्डर सोसायटी रजि0 एक्ट रा0 सन् 1960 रजि0आ0 मन्जुलिका 22115 थापरनगर मेरठ द्वारा चेयरमैन मंजू गोयल सैकेट्री श्री संदीप गोयल का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हैं। तहसीलदार मेरठ की आख्या दिनांक 17–01–2013 तथा नक्शा नियम 135 उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था नियमावली से स्पष्ट है कि भूमि खाता संख्या 22 के खसरा संख्या 1004/1 कुल रकबा 1.5180 है0 (वर्तमान में 1035 वर्ग मी0 एन0एच0 में जाने के कारण) शेष रकबा 1.4145 है0 भूमि में स्थल पर मत्स्यपालन, बागवानी व कृषि नही हो रहा है, विद्यालय स्थापित है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध स्थलीय फोटोग्राफ से भी होती है। चूंकि उक्त भूमि का उपयोग कृषि कार्यो में नहीं किया गया जा है। अतः यदि भविष्य में प्रश्नगत भूमि का क्रय–विक्रय होता है, तो प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित न करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प राजस्व की हानि होगी। तहसील आख्या में प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर तहसील आख्या दिनांक 17–01–2013 स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00022 के खसरा संख्या 1004/1 कुल रकबा 1.5180 है0 (वर्तमान में 1035 वर्ग मी0

क्र0शे0पृ0सं0 2 पर

उप जिलाधिकारी मेरठ (मुहर)

Sandeep Goel

SECRETARY
Apex Inst. of Mgmt. Studies & Research
Meerut

एन0एच0 में जाने के कारण) शेष रकबा 1.4145 हे0, लगानी परतानुसार को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 17–01–2013 एवं नक्शा–नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। आदेश की प्रति अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) मेरठ, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं उप निबंधक मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए, तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–10–04–2013

10/4/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

आज यह निर्णय/आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया।

दिनांक :–10–04–2013

10/4/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

6-50
25/4/13
01/5/13
01/5/13

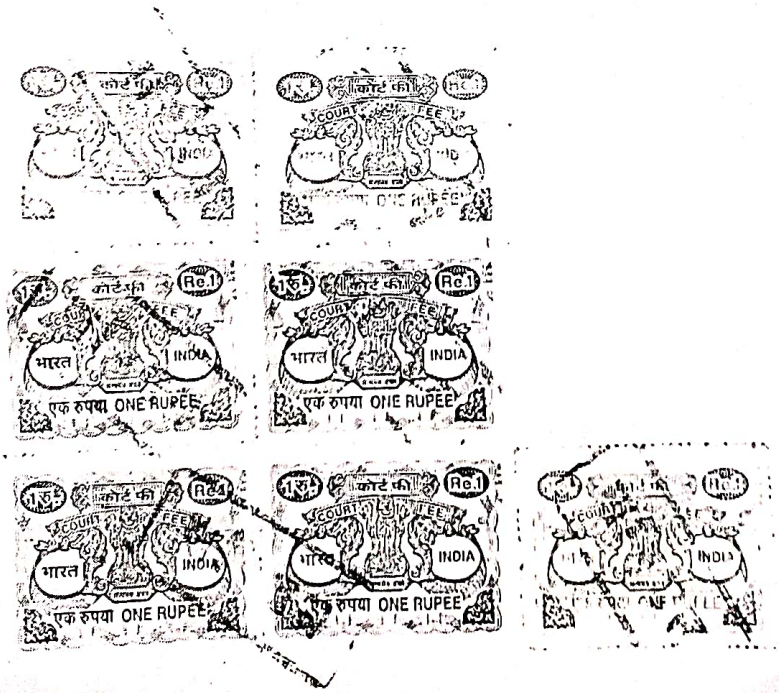

Sandeep Goel
SECRETARY
Apex Inst. of Mgmt. Studies & Research
Meerut

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ।

वाद संख्या 152/2013 धारा 143 जैड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
सोसायटी ऑल इण्डिया इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमैन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च द्वारा मंजू गोयल बनाम उ0प्र0 सरकार

ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ।

पत्रांक 454/आर0ए0/परवाना/2013 दिनांक : 10–04–2013

:: परवाना अमलदरामद ::

तहसीलदार,
मेरठ।

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–04–2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है:–

"ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खाता संख्या 00022 के खसरा संख्या 1004/1 कुल रकबा 1.5180 है0 (वर्तमान में 1035 वर्ग मी0 एन0एच0 में जाने के कारण) शेष रकबा 1.4145 है0, लगानी परतानुसार को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। तहसील आख्या दिनांक 17–01–2013 एवं नक्शा–नियम 135 आदेश का अंग रहेंगे। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय–समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्ते/प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाए जाते हैं, जो इस पर पूर्णतः लागू होंगे तथा उक्त आदेश मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 को अतिक्रमित (Supersede) नहीं करेगा। यदि मेरठ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2021 के विपरीत यदि स्थल पर कोई कार्य किया जाता है, तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा"

अतः परवाना अमलदरामद दो प्रतियों में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त आदेश का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराकर, परवाने की एक प्रति इस न्यायालय को वापस भिजवाना सुनिश्चित करें।

10/4/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1– अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– उप निबंधक, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sandeep Garg
SECRETARY
Apex Inst. of Mgmt. Studies & Research
Meerut

10/4/13
(अरविन्द कुमार मिश्र)
उप जिलाधिकारी,
मेरठ।